उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-3/2023/187/सामान्य/15/20/95/47-का-4-2023
लखनऊ: दिनांक: 10 मई, 2023

कार्यालय - ज्ञाप

ई-अधियाचन पोर्टल विभिन्न विभागों एवं चयन आयोग के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य एवं उत्तर दायित्व

अ .कार्मिक विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य एवं उत्तरदायित्व-

1. ई-अधियाचन पोर्टल के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु कार्मिक विभाग, नोडल विभाग की भूमिका में अपने कार्य एवं उत्तर दायित्व का निर्वहन करेगा।

2. कार्मिक विभाग, ई-अधियाचन परियोजना के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु एक सक्षम नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो ई-अधियाचन पोर्टल पर वैब एड्मिनिस्ट्रेटर के रूप में अपने कार्यों एवं उत्तर दायित्वों का निर्वहन करते हुये विभिन्न विभागों एवं आयोग से समन्यवय स्थापित कर परियोजना का कुशलतापूर्वक संचालन करेगा।

3. विभिन्न विभागों एवं चयन आयोग के उपयोगार्थ, वैब एड्मिनिस्ट्रेटर पोर्टल पर एन0 आई0 सी0 के माध्यम से लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड निर्मित कर कार्मिक विभाग एवं एन0 आई0 सी0 द्वारा संबंधित विभागों को उपलब्ध करायेगा।

4. ई-अधियाचन परियोजना के प्रारम्भिक कार्यान्वयन के स्तर पर नोडल विभाग ई-अधियाचन साफ्टवेयर हेतु UAT (User Acceptance Testing) सर्टिफिकेट एन0 आई0 सी0 को उपलब्ध कराएगा ताकि साफ्टवेयर को विभिन्न विभागों एवं आयोग के उपयोगार्थ लाइव सर्वर पर पब्लिश किया जा सके।

5. ई-अधियाचन परियोजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर में परिवर्तन एवं नई प्रक्रिया के समायोजन के संदर्भ में नोडल अधिकारी एन0 आई0 सी0 लखनऊ के माध्यम से वांछित प्रक्रिया का डिजिटाइजेशन करायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

6. कार्मिक विभाग, ई-अधियाचन परियोजना के अंतर्गत समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर संबन्धित विभागों और चयन आयोग के नोडल अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को यथावश्यकता प्रशिक्षण प्रदान करायेगा। प्रशिक्षण स्थल एवं उसकी समस्त आवश्यक व्यवस्थायें कार्मिक विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

7. विभाग एवं चयन आयोग द्वारा ई-अधियाचन परियोजना से संबन्धित प्राप्त सुझावों/ समस्याओं /शिकायतों का निस्तारण कार्मिक विभाग के नोडल अधिकारी के माध्यम से एन0 आई0 सी0 द्वारा किया जायेगा।

<u>आ .विभाग /निदेशालय द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य एवं उत्तरदायित्व-</u>

1. ई-अधियाचन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक विभाग एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो कार्मिक विभाग से समन्यवय स्थापित कर परियोजना को क्रियान्वित कराएगा। नोडल अधिकारी परिवर्तित होने पर इसकी सूचना कार्मिक विभाग एवं एन0 आई0 सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. प्रत्येक संबन्धित विभाग के उपयोगार्थ “ई-अधियाचन अप्रूविंग अथॉरिटी” एवं “ई -अधियाचन फाइलर” स्तर की लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड, कार्मिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से विभाग द्वारा अपने कार्यों एवं उत्तर दायित्वों का निर्वहन किया जा सकेगा।

3. विभाग ई-अधियाचन पोर्टल पर लॉग-इन कर पासवर्ड को अपनी सुविधानुसार परिवर्तित कर सकता है। इसके साथ ही वह अपना व्यक्तिगत विवरण भी अपडेट कर सकता है।

4. विभागीय स्वीकृत पदों का व्योरा एवं रिक्तियों से संबंधित मास्टर डाटा की फीडिंग एवं अपडेशन का कार्य नोडल अधिकारी के द्वारा संपादित किया जाएगा।

5. “ई-अधियाचन फाइलर” द्वारा अधियाचन फीडिंग का कार्य संपादित किया जाएगा तथा “ई-अधियाचन अप्रुविंग अथॉरिटी” के अनुमोदनोपरांत दर्ज ई-अधियाचन, चयन आयोग को स्वतः प्रेषित हो जाएगा।

6. विभाग के अंतर्गत निदेशालय द्वारा समूह 'ग' स्तर के रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन को चयन आयोग को प्रेषित किया जा सकता है, जबकि समूह 'ख' स्तर के रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन को विभागीय अनुमोदनोंपरांत चयन आयोग को प्रेषित किया जा सकेगा।

7. संबन्धित विभाग एवं चयन आयोग के द्वारा ई-अधियाचन पोर्टल पर संपादित किए जाने वाले समस्त प्रक्रियाओं के संचालन का उत्तरदायित्व स्वयं विभाग का होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

इ. चयन आयोग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य एवं उत्तरदायित्व -

1. ई-अधियाचन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु चयन आयोग एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो कि कार्मिक विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग से समन्यवय स्थापित कर परियोजना को क्रियान्वित कराएगा।

2. चयन आयोग को ई-अधियाचन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक युनीक आरएसी कोड)आर0ए0सी0) तथा लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा जिसके माध्यम से चयन आयोग द्वारा अपने कार्यों एवं उत्तर दायित्यों का निर्वहन किया जा सकेगा।

3. ई-अधियाचन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाले अधियाचनों को चयन आयोग के नोडल अधिकारी द्वारा डिजिटली रिसीव किया जाएगा तत्पश्चात संबधित सेक्शन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सकेगा।

4. आयोग द्वारा ई-अधियाचन को अग्रिम भर्ती प्रक्रिया हेतु डिजिटली स्वीकार किया जा सकेगा अथवा अधियाचन अपूर्ण होने की स्थिति में आयोग वांछित सूचना एवं स्पष्टीकरण हेतु अधियाचन पर आपत्ति दर्ज कर विभाग को डिजिटली रिवर्ट किया जा सकता है |

5. आयोग के उपयोगार्थ ई-अधियाचन के अंतर्गत एक ऑनलाइन डैश बोर्ड उपलब्ध होगा जिसके माध्यम से नोडल अधिकारी समस्त प्रक्रियाओं का संचालन एवं सतत मानिटरिंग कर सकेगा।

<u>ई .एन0आई0सी 0द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य एवं उत्तरदायित्व</u>

1. ई-अधियाचन परियोजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर में परिवर्तन या अन्य नवीन प्रक्रिया का विकास, कार्मिक विभाग से अनुमोदित प्रोसेस फ्लो के प्राप्त होने के उपरांत एन0 आई0 सी0 द्वारा सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन या विकास कार्य तय कार्यक्रम के अनुसार वांछित समय सीमा में पूर्ण कराया जायेगा।

2. सॉफ्टवेयर में परिवर्तन या नवीन प्रक्रिया हेतु विकसित सॉफ्टवेयर को सर्वप्रथम टेस्टिंग हेतु एक स्टेजिंग सर्वर पर उपलब्ध कराया जाएगा जहाँ कार्मिक विभाग वांछित सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रक्रिया सम्पन्न करायेगा।

3. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रक्रिया के उपरान्त ई-अधियाचन पोर्टल का थर्ड पार्टी सेक्युर्टी ऑडिट कराया जाएगा तदोपरांत एन0 आई0 सी0 मुख्यालय, नई दिल्ली के साइबर सुरक्षा प्रभाग (Cyber Security Division) से भी अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

4. ऑडिट प्रक्रिया संपूर्ण होने के उपरांत, कार्मिक विभाग पुनः संशोधित U.A.T. सर्टिफिकेट जारी करेगा तत्पश्चात एन0 आई0 सी0 द्वारा नव विकसित सॉफ्टवेयर को जन सामान्य के उपयोगार्थ लाइव सर्वर पर पब्लिश किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

5. ई-अधियाचन पोर्टल का परिनियोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, भुवनेश्वर के माध्यम से सम्पन्न किया जा रहा है। अतः उक्त परियोजना के संचालन के अंतर्गत होने वाले क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु वार्षिक व्यय भार का भुगतान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा।

6. एन0 आई0 सी0 द्वारा, कार्मिक विभाग के अनुरोध पर अधिकारियों एवं विभिन्न विभागों से नामित नोडल अधिकारियों को ई-अधियाचन परियोजना के संचालन संबंधी समस्त क्रिया-कलापों की जानकारी एवं ट्रेनिंग प्रदान कराई जाएगी जिससे वह अपना कार्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन सुगमतापूर्वक कर सकें।

7. संबन्धित विभाग एवं चयन आयोग के द्वारा ई-अधियाचन पोर्टल पर संपादित किये जाने वाली समस्त प्रक्रियाओं के संचालन का उत्तरदायित्व स्वंय का होगा। संबन्धित प्रक्रिया के संचालन एवं क्रियान्वयन में एन0 आई0 सी0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा किन्तु इसमें आने वाली समस्याओं का निराकरण विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एन0 आई0 सी0 से कराया जा सकेगा।

8. एन0 आई0 सी0, ई-अधियाचन परियोजना में एक प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में कार्य करेगा और उपरोक्त परियोजना के उपयोग से उत्पन्न किसी भी मुद्दे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संबन्धित विभाग /चयन आयोग द्वारा प्रेषित प्रश्नों / आर0 टी0 आई0 अथवा कोर्ट केस के उत्तर हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-3/2023/187(1)सामान्य/15/20/95/47-का-4-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. श्री आर0एच0 खान, उप महानिदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ।
4. श्री नवनीत प्रधान, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ।

राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।